

कार्यालय : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जौनपुर

अल्पकालीन निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक / महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बाँझपन शिविर के आयोजन, टीकाकरण, मेडिकोलीगल केसेस, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालो अप के साथ-साथ कामधेनु योजना एवं कुक्कुट विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को समस्त विभागीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में "बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाएँ" योजनान्तर्गत जनपद जौनपुर में वर्ष 2016-17 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 21 वाहन चालकों की व्यवस्था एवं उनके पारिश्रमिक निर्धारण हेतु रजिस्टर्ड सर्विस प्रदाता फ़र्मों / एजेंसियों से सील बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। चालकों के पदों की संख्या शासन के आदेशानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इच्छुक फ़र्म/एजेंसिया निविदा की शर्तें एवं आवेदन पत्र दिनांक 26-11-2016 तक जनपद की वेबसाइट www.jaunpur.nic.in से डाउनलोड अथवा विकास भवन स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिन में प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक प्राप्त कर सकती हैं। निविदा दिनांक 28-11-2016 को मध्याह्न 12.00 बजे तक जमा की जाएगी और उसी दिन अपरान्ह 1.00 बजे समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता फ़र्म/एजेंसियाँ निविदा के खोलने के समय उपस्थित रह सकती हैं। प्रिबिड कान्फ्रेंसिंग दिनांक 26.11.2016 को अपरान्ह 2.00 से 4.00 बजे तक की जाएगी। वाहन चालकों की मजदूरी वर्तमान में लागू श्रम अधिनियम (Labour Act) एवं श्रम विभाग, उ०प्र० द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अंतर्गत निर्गत अद्यतन शासनादेश के अनुरूप अनुमन्य होगी। शून्य सर्विस चार्ज किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।



(डा० वीरेंद्र सिंह)

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जौनपुर

पत्रांक- 2404-7 /ब०उ०स०प०चि०से०-लेखा /2016-17

दिनांक - ०८/११/१६

बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा-प्रपत्र एवं शर्तें ।

पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बॉझपन शिविरों के आयोजन टीकाकरण, मेडिको लीगल केसेस, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालोअप के साथ-साथ कामधेनु योजना एवं कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को समस्त विभागीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें योजना प्रारम्भ की गयी है। बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें अन्तर्गत जनपद-जौनपुर में 21 विकास खण्ड स्तर पर बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा इकाईयों के वाहनो को वर्ष 2016-17 में परिचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से चालकों की व्यवस्था एवं उनके पारिश्रमिक दरों के निर्धारण हेतु सर्विस प्रदाता फर्मों/एजेन्सियों से निविदा आमंत्रित की गयी है।

2- निविदा प्रक्रिया :

1-निविदा प्रपत्र मुख्य विकास अधिकारी जनपद-जौनपुर की वेबसाइट jaunpur.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

2-निविदा प्रपत्र दो भागों में निर्धारित प्रारूपों क्रमशः (अ)-तकनीकी बीड एवं (ब) वित्तीय बीड पर आधारित होगी। दोनों बीड अलग-अलग मोहर बन्द लिफाफे में निविदा के साथ जमा करना होगा। साथ ही इन निविदाओं के लिफाफे पर क्रमशः "तकनीकी निविदा" एवं "वित्तीय निविदा" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इन दोनों निविदा प्रपत्रों को बड़े लिफाफे जिस पर "बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें योजनान्तर्गत वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र" अंकित हो, में रखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करना अनिवार्य होगा।

तकनीकी निविदा के लिफाफे में निविदा प्रपत्र कय किये जाने की रसीद एवं डाउनलोड किये जाने की दशा में निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में ₹0 500.00 (पाँच सौ मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट तथा अर्नेस्ट मनी के रूप में ₹0 25000.00 (पच्चीस हजार मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद-जौनपुर के पक्ष में एवं जनपद-जौनपुर में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।

3- असफल निविदा दाताओं को अर्नेस्ट मनी की धनराशि 03 माह के भीतर/निविदा के अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। सफल निविदा दाता के अर्नेस्ट मनी की धनराशि सिक्क्योरिटी डिपोजिट के अंश के रूप में समायोजित की जायेगी।

4- निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव निविदा प्राप्त करने की तिथि से 31 मार्च 2017 तक मान्य होगा।

5- तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के प्रारूप निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। तकनीकी निविदा (भाग-1) में उल्लिखित समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न की जाय। फर्म के अधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त प्रपत्र सुचारु रूप से मुहर सहित हस्ताक्षरित होने चाहिए। साथ ही इन पर पेज संख्या, स्थान एवं सूचीबद्ध किया जाना अनिवार्य है। यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा प्रस्वाव में अंकित सूचनायें एवं संलग्नक तकनीकी निविदा में अंकित सूचनायें एवं वांछित संलग्नकों से

भिन्न पायी जाती है या नही पायी जाती है तो ऐसी निविदायें नान रिस्पॉन्सिव (Non Responsive)

समझी जायेगी।

6-निविदा दाता समय से निविदा जमा करना सुनिश्चित करें।

7-निविदा अभिलेख में दी गयी निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें निविदा दाता को स्वीकार करनी होगी। नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा और सशर्त आफर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

8-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद-जौनपुर के पास अधिकार सुरक्षित है कि :-

(अ) सफल निविदादाता द्वारा किसी स्तर पर गलत सूचना/गुमराह/अस्वीकृत या प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से अनुपालन न करने की स्थिति में प्रस्ताव/अनुबन्ध या लेटर आफ इन्टेंट या एग्रीमेंट को निरस्त कर दें।

(ब) आवश्यक समझे जाने पर निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण या दिये गये अभिलेखों का सत्यापन कर सकता है।

(स) बिना कारण बताये दर स्वीकृत होने से पूर्व/पश्चात् किसी भी प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है।

(द) यदि यह पता चलता है कि निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट, फर्जी या अन्य गैर कानूनी कृत्यों में लिप्त है तो ऐसे निविदादाता के प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है एवं भविष्य के लिए निविदादाता को काली सूची में डालने की कार्यवाही कर सकता है।

3- निविदा प्रपत्र का मूल्य:

निविदा प्रपत्र के बिक्रय की अन्तिम तिथि तक संबन्धित निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तें एवं विकास खण्ड की सूची सहित) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद-जौनपुर के कार्यालय से उक्त समयावधि के अन्तर्गत किसी भी कार्यदिवस में प्रति निविदा प्रपत्र रू० 500.00 (पाँच सौ मात्र) का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

डाउनलोडेड निविदा प्रपत्र की स्थिति में प्रति निविदा प्रपत्र रू० 500.00(पाँच सौ)मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, जो मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद-जौनपुर के पक्ष में एवं जनपद-जौनपुर में देय हो, निविदा प्रपत्र के तकनीकी बिड् के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापस नहीं किया जायेगा। इसके अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

4- जमानत की धनराशि:

सफल निविदादाता को जमानत के रूप में कान्ट्रेक्ट मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि एफडीआर के रूप में जमा करनी होगी। जिसमें पूर्व में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। जमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता को दर स्वीकृत की सूचना दिये जाने के 15 दिवस के भीतर एक अनुबंध मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद-जौनपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित फार्मेट पर करना होगा तथा साथ में जमानत की धनराशि जमा करना अनिवार्य है। जमानत की धनराशि मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद-जौनपुर के पक्ष में बंधक होगी। एफडीआर की वैधता अनुबंध अवधि के तीन माह बाद तक होगी। अनुबंध अवधि के विस्तार की दशा में इसकी वैधता में विस्तार कराना आवश्यक होगा। विफल होने की स्थिति में स्वीकृत पत्र निरस्त समझा जायेगा और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद-जौनपुर के पास अधिकार होगा कि वह संस्था/कम्पनी के विरुद्ध वर्तमान कान्ट्रेक्ट के सापेक्ष अनुबन्धित एजेन्सी/कम्पनी के उपर देय धनराशि को काटकर जमानत की धनराशि का भुगतान

